



राज्य पात्रता परीक्षा प्रकोष्ठ
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
नोडल एजेंन्सी
रेसीडेन्सी एरिया, इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक 03/06/परीक्षा/2018, दिनांक 12.12.2018

शुद्धि पत्र/संशोधित विज्ञापित

राज्य पात्रता परीक्षा-2018

01. उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन सहायक प्राध्यापक के पदों पर भर्ती हेतु "राज्य पात्रता परीक्षा-2018" का आयोजन म.प्र. लोकसेवा आयोग के माध्यम से करने जा रहा है। आयोग के द्वारा विज्ञापन क्रमांक 06/परीक्षा/2018, दिनांक 06.10.2018 आयोग की वेबसाइट तथा "रोजगार और निर्माण"समाचार पत्र के दिनांक 14.10.2018 अंक में भी प्रकाशित हो चुका है।
02. उक्त सेट-2018 के प्रकाशित विज्ञापन के पृष्ठ क्रमांक-05 में परीक्षा परिणाम तैयार करने की विधि में निम्नानुसार संशोधन निम्नानुसार किया गया है।।


प्रथम चरण:- सर्वप्रथम ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात की जायेगी जो दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित हुए हों तथा इस संख्या के 6 प्रतिशत को अर्ह संख्या माना जायेगा।

द्वितीय चरण:- उक्त संख्या के आधार पर मध्यप्रदेश आरक्षण नीति के अनुसार प्रत्येक वर्ग हेतु निर्धारित आरक्षण के प्रतिशत के आधार पर वर्गवार अर्ह संख्या निर्धारित की जायेगी।

तृतीय चरण:-प्रत्येक वर्ग हेतु पृथक से ऐसे अभ्यर्थियों की गुणानुक्रम सूची बनाई जायेगी जो दोनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित रूप से उत्तीर्ण हुए हो (आनारक्षित हेतु 40 प्रतिशत तथा आरक्षित हेतु 35 प्रतिशत) इस गुणानुक्रम सूची से द्वितीय चरण मे निर्धारित संख्यानुसार अभ्यर्थियों को पात्र घोषित किया जायेगा। तथा सूची में अंतिम अभ्यर्थी को प्राप्तंक के समान अंक पाने वाले अभ्यर्थी को भी अर्हता सूची में सम्मिलित किया जायेगा।

03. विज्ञापन की शेष सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

परीक्षा संबंधी अन्य जानकारी हेतु अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in,
www.mppsc.nic.in एवं www.mppsc.com का निरंतर विजिट करते रहे।


(डॉ.आर.आर.कान्हेरे)
परीक्षा नियंत्रक (सेट)